सं0-10/2015/1186/26-2-2015-100(1)/2013

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 14 मई, 2015

विषयः- समाजवादी पेंशन योजना के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-264/26-2-2014-100(1)/2013, दिनांक 07.02.2014, पत्र संख्या-337/26-2-2014-100(1)/2013, दि0 11.02.2014 एवं पत्र संख्या-1098/26-2-2014-100(1)/2013, दिनांक 23.05.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के संचालन के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक सिद्वान्तों के आधार पर क्रियान्वयन हेतु निर्देश तथा प्रत्येक जनपदों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु पृथक-पृथक अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य के लिए जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2- विदित होगा कि समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु प्रदेश स्तर पर 40 लाख परिवारों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त् समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 05 लाख अतिरिक्त नवीन लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसके लिये आय-व्ययक में बजट व्यवस्था भी की गई है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2015-16 में समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत कुल 45 लाख परिवारों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत 05 लाख नवीन परिवारों के चयन का जनपदवार/वर्गवार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु पृथक-पृथक अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो संलग्नक-1 पर अवस्थित है।

3- समस्त जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप समस्त लाभार्थियों के चयन का कार्य **माह जुलाई, 2015 तक** प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाय तथा उनका सी0बी0एस0 बैंक खाता खुलवाकर सम्पूर्ण डाटा वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने का कार्य विलम्बतम **दिनांक 31 अगस्त, 2015 तक** पूर्ण कर लिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- अवगत कराना है कि समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष लक्ष्य 658894 है, जिसका जनपदवार विवरण संलग्नक-2 पर अवस्थित है। अतः निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2014-15 में पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से कराई गई जाँच में अस्वीकृत/ब्लॉक/असत्यापित लाभार्थियों के पुनः जाँचोपरान्त पात्र पाये जाने की दशा में उनका सी0बी0एस0 बैंक खाता खुलवाकर तथा सही बैंक खाते का विवरण साफ्टवेयर पर ऑनलाइन अपलोड कराने पर उन्हें वित्तीय वर्ष 2015-16 के अप्रैल माह से पेंशन की धनराशि देय होगी। समस्त जिलाधिकारी इस कार्य को प्राथमिकता पर **दिनांक 31 मई, 2015 तक** पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

5- उल्लेखनीय है कि समाजवादी पेंशन योजना शासन की एक महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकतापरक योजना है। अतः जिलाधिकारी जनपद स्तर पर इस योजना के सफल एवं समयबद्ध संचालन हेतु स्वयॅ उत्तरदायी होंगे। जिलाधिकारी द्वारा योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा तथा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु स्वयॅ व्यक्तिगत रूप से प्राथमिकता पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाय कि समाजवादी पेंशन योजना के समयबद्ध एवं त्वरित क्रियान्वयन हेतु उक्त लक्ष्य निर्धारण के अनुसार समस्त कार्यवाही प्राथमिकता पर सम्पादित की जाय।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

पृ0सं0-10/2015/1186(1)/26-2-2015-100(1)/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त समाज कल्याण, उ0प्र0।
2- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी (नोडल अधिकारी, समाजवादी पेंशन योजना), उ0प्र0।
7- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
9- विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिवा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in